

प्रपत्र — 3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1.	परियोजना का नाम	:	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत रायगढ़ परिक्षेत्र में 132 के.व्ही. पारेषण लाईन का निर्माण 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई से प्रस्तावित NTPC ग्राम जुर्डा तक 132 के.व्ही. डी. सी.डी.एस. लाईन निर्माण कार्य हेतु 9.589 हे. का वन व्यपवर्तन प्रस्ताव।
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	:	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. संभाग बिलासपुर।
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	:	9.589 हे.
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला वनमण्डल परियोजना स्थल रायगढ़ रायगढ़ कोडातराई से प्रस्तावित NTPC ग्राम जुर्डा तक
5.	वन भूमि का विस्तृत विवरण	:	
	क. आरक्षित वन	:	2.190 हे.
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	:	निरंक.
	ग. राजस्व वन भूमि	:	7.399 हे.
	घ. योग	:	9.589 हे.
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	:	घनत्व 0 से 0.4
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	:	साल, बीजा, महुआ, नीम, चार एवं अन्य मिश्रित प्रजाति कुल वृक्ष संख्या = 1319
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	:	सामान्य
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	:	संबंधित नहीं है।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive	:	

	क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदत करें।		नहीं है।
11.	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	:	संबंधित नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	:	नहीं

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गयी वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है/~~नहीं की जाती है।~~

निरीक्षण स्थल :- कोडातराई से प्रस्तावित NTPC ग्राम जुर्दा तक

दिनांक :- 17/04/2020

(भनोज पाठेय)



वन मण्डलाधिकारी

मुख्य वन संरक्षक/व.म.अ. के हस्ताक्षर

बिलासपुर वृत्त/रायगढ़ वनमण्डल

मय सील